



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221385
CG-DL-E-27082020-221385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2020/भाद्र 5, 1942

No. 431]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2020/BHADRA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 537(अ).—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्ष और आरंभ:-

- (1) इन नियमों को ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 में, नियम 19 में "द्वितीय" शब्द के पश्चात् "और चतुर्थ" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 03/04/2020-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2020
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993, in rule 19, after the word “Second”, the words “and Fourth” may be inserted.

[F. No. 03/04/2020-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

WWW.TAXSCAN.IN